Construction of a Road Bridge on River Vasista in Andhra Pradesh

6774. YERRA SHRI Will NARAYANASWAMY: the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Oil and Natural Gas Commission has sanctioned grant to construct a road bridge on river Vasista in Andhra Pradesh;

(b) if so, what is the amount of the grant;

(c) by when it will be completed and whether there is a proposal to lay a gas pipeline across the bridge from East Godavari to West Godavari District; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (b) Oil and Natural Gas Corporation Limited has agreed to contribute Rs. 6 crores as its share for construction of a road bridge across river Vasista. Out of this amount. the Corporation has paid Rs. 2 crores to the Government of Andhra Pradesh and the balance is to be released depending on the progress of the construction of the bridge.

(c) and (d) The Scheduled date of completion of construction of the above bridge is March, 1995.

The gas pipeline to the Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited may have to be laid on two bridges to be built across the rivers Gauthami Godavari and Venaitayam Godavari.

गुजरात में प्राकुकित गैस की मांग

6775 श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजगत राज्य ने कुल कितनी प्राकृतिक गैस की मांग की थों और इन वर्षों के दौरान वहां कितनी मात्रा में गैस की आपर्ति की गई:

(ख) इस मांग में से कितनी गैस घरेलु खपत एवं कितनी औद्योगिक खपत के लिए थी;

(ग) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य को मांग की तुलना में कम मात्रा में गैस आबंटित की जाती है; और

(घ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार गुजरात राज्य की मांग को परा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री कैप्टेन सतीश शर्मा): (क) और (ख) वांछित सचना विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) सरकार ने तटवर्ती तथा अपतट दोनों क्षेत्रों से राज्य में गैस के उत्पादन तथा उपलब्धता में वृद्धि के लिए योजनाएं हाथ में ली है।

विवरण

		(एम	एम एस सी	
			1992-93	1993-94
1.	(क)	गैस लेने वाली इकाइयों को आबंटन	12.97	14.86
	(ख)	प्राकृतिक गैस को आपूर्ति	12.37	12.53
2	(क)	नगर वितरण हेतु आबंटन	0.53	0.53
	(ख)	नगर वितरण हेतु आपूर्ति	0.50	0.52
3.	(क)	उद्योगों के लिए आबंटन	4.20	4.89
	(ख)	उद्योगों के लिए आबंटन	3.39	4.49

230